उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 —127/2019

सी0आई0एस0— 527/2019

नथुनी गडेरी...........................वादी।

बनाम्

समीद मियॉ..............................प्रतिवादी।

आदेश

01.12.2025

वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 29.10.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 18 मुमताज मियॉ की मृत्यु क्रमशः दिनांक 16.05.2025 को हो चुका है। अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं0 18 मुमताज मियॉ का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत प्रतिवादी सं0 18 के कानूनी वारीसान कलीम मियॉ, अजीशान अली, मुनीया खातुन, झुनिया खातुन, अलीमा खातुन का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वाद ी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षांत करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है परन्तु बिलम्ब से दाखिल किया गया है जिसपर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। अतः वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को क्षांत किया जाता है अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन 29.10.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 18 मुमताज मियॉ का नाम कलमजद करते हुए, इनके कानूनी वारीसान कलीम मियॉ, अजीशान अली, मुनीया खातुन, झुनिया खातुन, अलीमा खातुन का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक—17.12.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)